<u>न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर</u>

अपील एल0 आर0 एक्ट संख्या 16/2019 जिला भीलवाड़ा

1. ओमप्रकाश पुत्र पन्नालाल जाति स्वर्णकार निवासीगण बिजौलियां।
2. गोपाल पुत्र पन्नालाल स्वर्णकार तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

................अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

................रेस्पोडेण्ट

2. लाडदेवी पुत्री पन्नालाल जाति स्वर्णकार निवासीगण बिजौलियां(मृतक) जरिये वारिसान–

(1)–2/1 गोविन्द कुमार पुत्र बसंतीलाल जाति स्वर्णकार निवासी बिछौर तहसील बेंगू जिला चितौड़गढ़ हाल निवासी शिवम वाटिका के पीछे, आदर्श नगर भीलवाड़ा।

(2)अरविन्द कुमार पुत्र बंसतीलाल निवासी बिछौर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

3. बदामबाई पत्नी पन्नालाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(मृतक)

–तरतीबी–रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार बिजौलियां, भीलवाड़ा दिनांक 28.12.2007 प्रकरण संख्या 7/2005 में पारित किया गया।

....

उपस्थित अभि0:–श्री मदनलाल गुर्जर(अपीलांट अभि0)
श्री वी0एस0 पंवार(रेस्पो0 2 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांक:–28.07.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम किशनपुरिया तहसील बिजौलियां में सिवायचक खसरा नम्बर 111 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा , खसरा नम्बर 116 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 117 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 3 , कुल रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि दिनांक 06.09.1981 द्वारा अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 के पिता व पति स्वर्गीय पन्नालाल पुत्र राधाकिशन को आवंटित की जाकर पन्नालाल को कब्जा सोप दिया गया। आवटंन आदेश की पालना में अपीलांट के पिता के नाम गैर खातेदारी से नामांतरण स[illegible] दर्ज कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। मगर वृक्षो की कि[illegible] से दिनांक 05.02.1986 को नामातंरण संख्या 156 को अस्वीकार [illegible] नोट डा[illegible] है कि बाद में प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्र[illegible] संख्या 85/86 [illegible] 07.07. 1993 को पारित निर्णय में वृक्षो की किमत का पुनः निर्धारण कर पुनः निर्णय का

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:46 IST
Reason: SelfAttested

आदेश उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ को दिया गया।उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ द्वारा दिनांक 02.06.2001 को तहसीलदार बिजौलियां को वृक्षो की किमत 6500/ रूपये निर्धारित कर आवंटी से वसूली कर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। पन्नालाल द्वारा डिमाण्ड राशि 6500 रूपये रसीद संख्या 090638/00050 दिनांक 15.10.2001 से जमा करवायी। उसके बाद पन्नालाल की मृत्यु हो गई। उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.04.2004 को तहसीलदार को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर नामातंरण को निर्णित करें। तहसीलदार ने उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया सीधे पटवारी से रिपोर्ट मंगवायी। पटवारी ने भी बिना मौके पर जायें, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तथा कब्जा नहीं बताया तथा अपना निर्णय दिनांक 28.12.2007 पारित किया जिसमें यह अंकित किया कि अलॉटी की मृत्यु हो चुकी है तथा मरने से पूर्व कभी भी अलॉटी द्वारा कोई अपील पूर्व आदेश दिनांक 05.02.1986 के विरूद्ध नही की गई है। अब अलॉटी की मृत्यु हो गई है तथा अब उसके वारिसान द्वारा अपील की गई है तथा उनका भी कब्जाकाश्त नहीं है। अतः आवंटन आदेश दिनांक 06.09.1981 का अब प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी के दर्ज किया जाना न्यायोचित नहीं होना मानते हुए पत्रावली संख्या 81/81 दिनांक 06.09.1981 को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया गया।

उक्त निर्णय दिनांक 28.12.2007 से व्यथित होकर निम्न आधार पर अपील प्रस्तुत की जा रही है–

1. पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

2. प्रथम बार नामातंरण दिनांक 05.02.1986 को अस्वीकृत किया गया था जिसकी अपील आवंटी पन्नालाल द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर की गई थी। तब ही मण्डल द्वारा प्रकरण संख्या 85/86 में निर्णय दिनांक 07.07.1993 पारित किया था तथा वृक्षो की कीमत का पुनः निर्धारण कर निर्णय पारित करने का आदेश उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ को दिया गया था।

3. पन्नालाल को भूमि आवंटन के बाद भूमि का दखल दिया गया था तब से वह काबिज था और उनकी मृत्यु के बाद अब अपीलांट काबिज है।

4. पटवारी द्वारा बिना जांच किये रिपोर्ट जारी की गई। अतः तहसीलदार बिजौलियां का निर्णय दिनांक 28.12.2007 निरस्त किया जायें तथा आवंटित भूमि का नामातंरण अपीलांट के नाम खोला जायें। अपीलांट द्वारा अपने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा बताया गया कि अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.06.2019 को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई। इसके पश्चात [illegible] कार्यालय में जाकर निर्णय दिनांक 28.12.2007 की जानकारी हुई। जानकरी दिनांक [illegible] को हुई, दिनांक 14.06.2019 को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त हुई। दिनांक 24.[illegible].2019 को अपील प्रस्तुत कराने अजमेर आये व अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई देरी को क्षमा करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:46 IST
Reason: Self Attested

स्थगन प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा बताया गया कि विवादित खसरो पर पहले पन्नालाल का और उनकी मृत्यु के बाद हमारा कब्जा चला आ रहा है तथा प्रथम दृष्टया केस , सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः तहसीलदार बिजौलिया का आदेश दिनांक 28.12.2007 की क्रियान्विति को स्थगित रखा जायें।

न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र ऑर्डर 22 रूल 4 सीपीसी तथा धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तरतीबी रेस्पो0 नम्बर 2 लाड़देवी पुत्री पन्नालाल जो कि बहन है का निधन दिनांक 15.05.2004 को हो चुकी है। इनके वारिस गोविन्द कुमार पुत्र बसंतीलाल एव अरविन्द कुमार पुत्र बसंतीलाल को विधिक वारिसान के रूप में रिकोर्ड पर लिया जायें तथा कायम मुकाम में हुई देरी को क्षमा किया जायें और अपील के अबेटमेंट को निरस्त किया जायें। एक अन्य प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि रेस्पो0 संख्या 3 बदामबाई पत्नि पन्नालाल का निधन हो चुका है एवं उसके वारिस पहले से ही पत्रावली पर अंकित है। अतः उसका नाम दर्ज किया जायें। उक्त दोनो प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद रेस्पो0 संख्या 3 बदामबाई पत्नि पन्नालाल के नाम को तर्क किया जाने का आदेश दिया गया तथा लाड़देवी पुत्री पन्नालाल के वारिसान को पत्रावली पर लिये जाने का आदेश दिया गया। गोविन्द कुमार और अरविन्द कुमार की ओर से उनके अभि0 विरेन्द्र सिंह पंवार द्वारा वकालतनामा किया गया।

बहस में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि विवादित भूमि दिनांक 06.09.1981 को पन्नालाल को अलॉट की गई थी। वृक्ष की कीमत जमा नहीं होने से नामातंरण संख्या 156 खारिज किया गया। राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण पुनः राशि तय करने हेतु उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ को रिमाण्ड किया गया। दिनांक 15.10.2001 को राशि 6500 रूपये जमा करवायी गई। इसके बाद एस0डी0ओ ने पुनः जांच कर नामातंरण की कार्यवाही बाबत तहसीलदार को निर्देश दिये गये। मगर तहसीलदार द्वारा 135(2) एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए नामांतरण दिनांक 28.12.2007 को निरस्त कर दिये गये। राजस्व मण्डल के आदेश के संदर्भ में एस0डी0ओ ने पालना हेतु पत्र/निर्देश तहसीलदार को जारी किये गये थे। उसे कोई विवेचना नहीं करनी थी। तहसीलदार द्वारा कभी भी धारा 14(4) की कार्यवाही करने के लिए प्रकरण दर्ज नहीं करवाया। अपील दर्ज की जायें।

राजकीय अभि0 ने बहस में बताया कि तहसीलदार का आदेश विधिवत है। मौके पर कब्जाकाश्त नहीं है। मूल अलॉटी द्वारा निरस्त नामातंरण की कार्यवाही नहीं की। उत्तराधिकारी बाबत उसे स्वयं न्यायालय में घोषणा लानी होगी। राजस्व मण्डल में जो कार्यवाही चली उसके कोई आदेश पत्रावली पर नही दिये गये। अपील मियाद अवधि के बाहर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:46 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा अपील के साथ अपीलाधीन निर्णय 28.12.2007 , नामातंरण संख्या 156 ग्राम किशनपुरिया , रिपोर्ट पटवारी लक्ष्मीखेड़ा दिनांक 23.12.2015 प्रस्तुत किया।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील में प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में उल्लेख किया कि उसे (ओमप्रकाश) दिनांक 13.06.2019 को निर्णय दिनांक 28.12.2007 की जानकारी हुई। उसके बाद उसने दिनांक 14.06.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त की। दिनांक 24.06.2019 को अभि0 नियुक्त कर अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही की। न्यायालय हाजा की प्रोसिडिंग के अनुसार उक्त प्रकरण दिनांक 28.06.2019 को रीडर, न्यायालय हाजा द्वारा मार्क किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 31.10 को मार्क किया हुआ है। तथा ऑर्डरशीट के अनुसार दिनांक 06.11.2019 को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रकरण संख्या 7/2005 का अवलोकन किया गया। ओमप्रकाश को दिनांक 28.05.2015 के द्वारा तहसीलदार द्वारा सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसमें पूर्व निर्णय दिनांक 05.02.1986 के संदर्भ में दिनांक 04.06.2005 को तहसील कार्यालय बिजौलियां में उपस्थित होने हेतु कहा गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध इस सूचना पत्र पर ओमप्रकाश के हस्ताक्षर है तथा इसके नीचे यह अंकित किया हुआ है कि महोदय जी बाद तामील पेश है। उस नोटिस के संदर्भ में ओमप्रकाश द्वारा दिनांक 04.06.2005 को तहसीलदार बिजौलियां को पत्र प्रस्तुत कर वृक्षो की राशि जमा कराने की रसीद संख्या 90638/50 प्रस्तुत कर नामातंरण खुलवाने की प्रार्थना की। उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 04.06.2005 को मिशल में शामिल किया गया। दिनांक 18.12.2006, 21.09.2007, 27.09.2007, 15.10.2007, 16.11.2007 को न्यायालय की प्रोसिडिंग के अनुसार ओमप्रकाश प्रस्तुत हुआ है। पत्रावली पर दिनांक 11.04.2016 का तहसीलदार बिजौलियां का पत्र उपलब्ध है। जिसमें पत्र रमेश चंद सारस्वत एडवोकेट भीलवाड़ा को संबोधित है। उक्त पत्र श्री सारस्वत द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा को एवं तहसीलदार बिजौलियां को धारा 80 सीपीसी के तहत रजिस्टर्ड नोटिस से दिनांक 07.03.2016 को भिजवायें थे। जिसके संदर्भ में जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 15.03.2016 को तहसीलदार बिजौलियां को पंजिकृत नोटिस सूचना पत्र के संदर्भ में सूचना कार्यवाही हेतु दिया गया था। उक्त नोटिस श्री सारस्वत द्वारा अपने व्यवहारी वर्तमान अपीलांट ओमप्रकाश व गोपालाल के संदर्भ में लिखा गया था। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट ओमप्रकाश को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2007 की जानकारी आरम्भ से ही थी। उसने अपने अभि0 श्री सारस्वत के माध्यम से कानूनी नोटिस भी तहसीलदार बिजौलिया और जिला कलक्टर भीलवाड़ा को प्रेषित किये थे। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कहना कि उन्हें अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2007 की जानकारी दिनांक 13.06.2019 को हुई है, जो सरासर गलत है और तथ्यों से परे है। अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। अतः अपील के मियाद अवधि के बिन्दु के संदर्भ में न्यायालय का यह मानना है कि अपील बहुत–बहुत वर्षों के बाद प्रस्तुत की

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:46 IST
Reason: Self Attested

गई है तथा अपीलांट स्वच्छ हाथों से भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। बहुत देरी से प्रस्तुत इस अपील को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता है। अतः अपील मियाद अवधि के बिन्दु पर खारिज किया जाना उचित होगा।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट विरूद्ध अपीलाधीन आदेश तहसीलदार बिजौलियां निर्णय दिनांक 28.12.2007 को धारा 5 लिमिटेशन एक्ट की मियाद अवधि में बहुत देरी से प्रस्तुत किये जाने से खारिज की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:46 IST
Reason: SelfAttested